

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/2849 /

जबलपुर, दिनांक 06/11/2020

II-14-22 2020

श्रीमती नैना बरकडे, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 22.08.2020 से 20.10.2020 तक 60 दिन का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है एवं उक्त कालावधि के बराबर अवधि तक के लिए परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जाता है तथा रजिस्ट्री निर्देश क्रमांक ए/1649 दिनांक 17.07.2020 के द्वारा जारी कोविड-19 कोरोना महामारी के बचाव संबंधी निर्देशों का पालन तथा कार्यालय में उपस्थित होने के पूर्व स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावे।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

सही/-

(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक C/2850 /

जबलपुर, दिनांक 06/11/2020

II-14-22/2020

प्रतिलिपि -

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (MO प्रो) की ओर उनके जापन क्रमांक 3502 /स्था. ग्वालियर दिनांक 20/08/2020 के संदर्भ में श्रीमती नैना बरकडे, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर का आवेदन पत्र दिनांक 01.08.2020 छायाप्रति एवं निर्धारित प्रपत्र दिनांक 11.08.2020 छायाप्रति वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु
3. असि. रजिस्ट्रार (एम) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(प्रियदर्शन कुमार)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)